

प्रेषक,

मण्डसीय महायक शिक्षा निदेशक (वैतिक)  
प्रथम मण्डस, भेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धका,

मण्डसीय महायक शिक्षा निदेशक (वैतिक)  
प्रथम मण्डस, भेरठ ।

प्रकाश संख्या/ ८९२६५४८

/94-95 दिनांक २०३-१२-१४

विषय :— असारसीय हृष्ट प्राचीनकालीन (कला ६ से ४ तक) "व" शब्दी की मान्यता के विषय में।

महोदय/महोदया

शासनादेश संख्या 217/15—6—92—18 एवं (7)/89 दिनांक 11—5—92 में किये गये शासनादेशों के अन्तर्यात् घण्टालीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार जापके विद्यालय की कला ६ से ४ तक "व" शब्दी की मान्यता यह जापिया मर्मात् होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कला हेतु एक वर्ष की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार जापिया विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्तव्याधिकों के पद अनुमत्य होते।

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक ध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ शैक्षी कर्मचारी	एक

इस जनशक्ति में विभाषा / प्रसार / कापट भृत्यापक समिक्षित माने जायेंगे। शासकीय विभागीय शासनों का वालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रदानहरण का अधिकार उ० प्र० वैतिक शिक्षा परिषद की होगा।

भवदीय

मण्डसीय महायक शिक्षा निदेशक (वैतिक)  
प्रथम मण्डस, भेरठ  
हृष्ट प्राचीनकालीन

पृ० सं० शि० सं०

/94-95 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1—प्रपर शिक्षा निदेशक (वैतिक) ह० प्र० शिक्षा प्रिवेशालय, इलाहाबाद ।
- 2—प्रचिव उ० प्र० वैतिक शिक्षा प्रिवेश, इलाहाबाद ।
- 3—प्रमुख जिला वैतिक शिक्षा अधिकारी भेरठ घट्टाल, भेरठ ।
- 4—प्रधानाध्यापक, कार्यालय जिला वैतिक शिक्षा अधिकारी ।
- 5—जिला हरिजन तथा सुमाज कल्याण अधिकारी ।
- 6—उ० विद्यालय निरीक्षक / शिक्षा अधीक्षक / अधीक्षिका जनरल ।
- 7—कार्यालय गाँड़ फाईल ।

मण्डसीय महायक शिक्षा निदेशक (वैतिक)  
प्रथम मण्डस, भेरठ ।